

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 944-पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-3-2015
पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 01/अपील/2012-13.

गजराजसिंह आत्मज दलीपसिंह
निवासी ग्राम परसौरा
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1— दशरथ आत्मज दलीपसिंह
2— राजकुमार आत्मज दलीपसिंह
निवासीगण ग्राम हिनौतिया बमनई
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री बी०के० चंसौसिया, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व सहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम पिपलिया बरई की नामांतरण पंजी क्रमांक 5 पर पारित आदेश दिनांक 29-5-2006 से परिवेदित होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज जिला रायसेन के समक्ष दिनांक 24-12-2009 को प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अपील/अ-27/2009-10 दर्ज कर दिनांक 22-2-11 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन

पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला रायसेन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 2-12-2011 को आदेश पारित कर निगरानी अमान्य करते हुए प्रकरण में सुनवाई की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को होने से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ वापिस भेजा गया कि उनके समक्ष सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदक एवं अनावेदकगण के पंजी पर आपसी सहमति के हस्ताक्षर हैं । अतः प्रकरण के निराकरण के दौरान इस तथ्य पर भी विचार किया जाये कि अनावेदकगण द्वारा पंजी पर वास्तविक रूप से सहमति के हस्ताक्षर किये गये हैं अथवा नहीं । तदोपरांत प्रकरण को गुण-दोष पर निराकरण किया जाये । अपर कलेक्टर के न्यायालय से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 20-7-12 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-5-2015 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत इस्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि नामांतरण पंजी पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगभग 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील को समय-सीमा में मान्य करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अनावेदकगण के कूट रचित हस्ताक्षर थे, तब अनुविभागीय अधिकारी को उसकी जाँच कराना थी, किन्तु बिना जाँच कराये फर्जी हस्ताक्षर मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की सहमति से नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, इस बिन्दु पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो कि निररत किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने नियमों के तहत नामांतरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, कारण उक्त नियमों के अंतर्गत बटवारा के प्रकरण में विधिवत फर्द बटवारा तैयार किया जाता है, और जिस पर विधिवत हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर बटवारा आदेश पारित किया जाता है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारा आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-3-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 947-पीबीआर/15 पर भी समान रूप से लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति प्रकरण में संलग्न की जाये ।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर